न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –23/2017 जिला दौसा

1. घासी पुत्र श्री श्योचन्दा
2. छीतर पुत्र श्री श्योचन्दा
3. बिरदीचन्द पुत्र श्री श्योचन्दा
   समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्रम राहुवास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री महादेव
2. श्रीमती भूली देवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद
   समस्त जाति मीना, निवासीगण ग्रम राहुवास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील वियद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 23.5.2017

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री उमेश गौड

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 23.5.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट जगदीश व भूली देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट आराजी खसरा नम्बर 306/17 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 305/17 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 304/17 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्रम राहूवास, पटवार हल्का राहूवास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित भूमि का रकबा एवं नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाज्ञान किया जाकर पुलिस इमदाद से पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा को फरमाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर उप खण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2017 पारित कर सीमाज्ञान दिनांक 17.5.17 को होने से पत्थरगढी कराना आवश्यक मानते हुये तहसीलदार रामगढ पचवारा को उक्त आराजी की पुलिस इमदाद से पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये जिनसे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम राहुवास, तहसील रामगढ पचवारा स्थित आराजी खसरा नम्बर 18/1, 18/7, 77/3, 89 /3 कुल किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा का अपीलान्ट संख्या–1 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एवं खसरा नम्बर 18 /4,18 /5,18 /9, 77 /2,77 /5,89 /2 कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा का अपीलान्ट संख्या 2 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नम्बर 18/2, 18 /3, 18 /6, 18 /8, 77 /1, 77 /4, 89 /1 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा का अपीलान्ट संख्या 3 रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है । उक्त भूमि के संलग्न् भूमि आराजी खसरा नम्बर 306/17 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 /17 रकबा 2 बीघा 17

बिस्वा , खसरा नम्बर 304 /17 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा स्थित है जिसके संबंध में अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स में सीमा संबंधी विवाद है, लेकिन रेस्पोंडेन्ट्स ने राजस्व ऐजेन्सी से मिलीभगत कर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के दिनांक 17.5.2017 को एकतरफा अपीलान्ट्स की उपस्थिति के बिना ही गलत तरीके से सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाकर उसके आधार पर पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स जो सहखातेदार थे, को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाने का था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान आदेश नहीं करके पुरानी एकतरफा सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मान कर गलत तरीके से रेस्पोंडेन्ट्स को बेजा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पत्थरगढी का आदेश करने में कानूनी भूल की है । अपीलाधीन आदेश में पत्थरगढी आदेश किन आधारों पर दिया गया , का वर्णन नहीं किये जाने से आदेश नोन स्पीकिंग आदेश होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडन्ट्स ने स्वयं की भूमि पर पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को पेश किया था जिस पर पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये हैं । अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी की है जिसमें अपीलान्ट्स सहखातेदार नहीं है इसलिये उन्हें पक्षकार बनाकर सुना जाना न्यायिक रूप से आवश्यक नहीं था । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील कानूनन पेश नहीं की जा सकती । अपीलान्ट्स प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु धारा 96 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट्स की भूमि पर पुलिस इमदाद में पत्थरगढी कराने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है , जो उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट्स अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि में सहखातेदार नहीं है तथा प्रकरण में प्रभावित व्यक्ति नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट जगदीश के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2017 को पारित कर सीमाज्ञान दिनांक 17.5.2017 को होने से पत्थरगढी कराना आवश्यक मानते हुये तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 306/17 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 /17 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 304 /17 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्रम राहुवास तहसील रामगढ पचवारा में पुलिस इमदाद में पत्थरगढी किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोंडेन्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान दिनांक 23.5.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं दिनांक 23.5.2017 को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये बिना एवं तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट लिये बिना एक ही दिन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप स आवश्यक है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है एवं प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 23.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को पक्षकारों

को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर